आएंगी, आएंगी। ये जो सपना आप दिखा रहे हैं, चाहे वह बिहार हो या बंगाल हो, जहां भी हो, वह सच नहीं होने वाला है। आप 25-26 हजार वैकेसीज़ तो फिल-अप नहीं कर पाए। What was the *praptI*? Sixty lives were lost और इसके लिए किसकी रिसपांसिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमैंट की रिस्पांसिबिलिटी है, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी है, अपोज़ीशन की रिस्पांसिबिलिटी है, मुझे नहीं मालूम। But the ultimate result was for recruiting twenty thousand people, sixty lives were lost और 1,57,000 जो वैकेंसीज़ हैं, इनके लिए भी एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। This is what this Government has given to this country. Now, you are saying that three lakh jobs will be created. What is the credibility of the Government, as a whole? What is the credibility?

आखिर में मैं अगर ट्रेन के बारे में नहीं बोलूंगा तो मेरे कामरेड दोस्त नाराज़ हो जायेंगे। रेल मंत्री जी ने 20 नवंबर को एक पब्लिक मीटिंग में जाकर कहा था कि सियालदाह से कूचबिहार तक एक ट्रेन चालू हो जाएगी। हमारे लोग बहुत परेशान थे, उन्होंने हमसे कहा कि इसके बारे में कहना मत भूलिएगा। हमने कहा कि कहने से क्या फायदा, वे चालू तो करेंगे नहीं, कर देंगे तो अच्छा है। उनका वादा तो ऐसी ही है, वादा तेरा वादा। सारी दुनिया वादे पर ही मारी जाएगी लेकिन फिर भी अगर आपने इस ट्रेन का वायदा किया था तो उसको पूरा कर दीजिए। वह ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाए तो अच्छा है। यह कहते हुए मैं फिर से कहता हूं कि I would have been happier, if he had presented the full Budget but because of lack of self confidence, आत्मविश्वास का अभाव or for some other reason you were not prepared to have a full term. I do not know the reason, he should find it. Thank you very much.

The University of Allahabad Bill, 2004

श्री सभापति: साढ़े 12 बजे एक बिल इंटरोड्यूज करना है, वह ले लेता हूं+इलाहाबाद विश्व-विद्यालय विधेयक, 2004।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): बिल इंटरोड्यूज हो इससे पहले आपत्ति नोट की जाती है। अब तक तो यही रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी बात मंत्री जी सुन लें और उसके बाद ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आपत्ति दर्ज करा दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन मंत्री जी का सम्मान करता हूं, उम्र में हमसे बड़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और वहां पढ़ाया भी है।

श्री सभापति: आप इनसे ही पढ़े हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: हमारे साथ छात्र जीवन में भी आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। यह एक पौपुलर मांग है। जब जोशी जी इस तरफ बैठते थे तो यह मांग किया करते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हम लोग जब इधर बैठते थे तब उनसे मांग करते थे। दर्जा दिया जाए। यह हमेशा होता रहा है। लेकिन लोक सभा भंग होने के दो दिन पहले इस सदन में इस विधेयक का पुर:स्थापित किया जाए, जोशी जी इलाहाबाद से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी उनकी कंस्टीट्यूंसी है। उस कंस्टीट्यूंसी से मैं तीन बार जीता हूं और जोशी जी भी तीन बार जीते हैं। मैं जानता हूं कि कल जब अखबार और मीडिया के जरिए सरकार के प्रचार के दुरुपयोग का आरोप माननीय सुरेश पचौरी जी ने लगाया था तो यह बात साफ हो गई थी कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और आपने भी यही राय दी थी और यह सही है कि चुनाव की दृष्टि से और लोकतंत्र की दृष्टि से यह दोषपूर्ण नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का एक नैतिक दायित्व भी होता है। एक बहुत ही लोकप्रिय मांग को लेकर के लोक सभा भंग होने के दो दिन पहले इस सदन में किसी विधेयक को पुर:स्थापित करना जिस विधेयक का सीधा रिश्ता मानव संसाधन विकास मंत्री जी से हो, हो सकता है यह कदाचार की श्रेणी में न आए। लेकिन सभापति महोदय, एक बीमार लोकतंत्र की ध्वनि इससे जरूर निकलती है। इसी तरह कल कोई उद्योग मंत्री अपनी कंस्टीट्यूंसी में चार कारखानों के लिए बिल पेश कर दें, परसों को टेलीफोन के मंत्री टेलीफोन कारखाना खोलने के लिए बिल पेश कर दें अपनी कंस्टीट्यूंसी में। अपनी कंस्टीट्यूंसी में जहां से ये तीन बार जीत कर आए हैं, हम भी आए हैं। हम को याद है कि पैट्रोलियम के गैस फिलिंग का एक प्लांट था। लोक सभा भंग हो गई थी। दीवार पर हमारा नाम लिखा हुआ था कि हम इसका शिलान्यास करेंगे। हमने जाकर कहा कि यह पत्थर निकाल दो अब हम थोड़े दिनों के लिए हैं। लोकतंत्र की मर्यादा रखने के लिए लोकतंत्र के जो सबसे बड़े प्रहरी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं इस बिल का स्वागत करना चाहता था मगर आज से 6 महीने पहले आता तो मैं मुरली मनोहर जी का हाथ चूम लेता। लेकिन आज गलत मौके पर एक पवित्र हथियार को उठा करके अगर अपने दुश्मन पर वार करने की कोई कोशिश करेगा तो उस पवित्र हथियार का सम्मान नहीं कर सकता। एक तो मेरी शिकायत यह है। दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय से या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जितने महाविद्यालय हैं वहां विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो किसी महाविद्यालय में भी पढ़ता है तो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। हम सभी का भाग्य अभी अधर में है। वे आंदोलन कर रहे हैं कि हमको केन्द्रीय विश्वविद्यालय में क्यो नहीं रखा जा रहा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उसका हिस्सा हैं उस तरह से उनको वह अधिकार नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, यह सही है कि बिल के हेडिंग में लिखा है राष्ट्रीय गौरव का विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ आदमी भारत का राष्ट्रपति हुआ है। कई लोग प्रधानमंत्री हुए हैं। आज भी और कई लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कई बड़े साहित्यकार निकले हैं, कई कलाकार निकले हैं, इतिहास के बड़े-बड़े विद्वान निकले हैं, हिन्दी साहित्य के विद्वान निकले हैं उर्दू साहित्य

के और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान निकले हैं। मैं जानता हूं कि वह राष्ट्रीय गौरव का विश्वविद्यालय है। लेकिन आज जो आप विधेयक पेश करने जा रहे हैं, मुझे याद है बोम्मई साहब चले गये, वे हम लोगों की सरकार में मानव संसाधन मंत्री थे, हम लोगों ने केबिनेट में पास कर दिया कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकर दिया जायेगा, यह मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया था। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाये क्योंकि सरकार चली गई। अब कौन सी सरकार आयेगी? किसके हाथ में यह विभाग होगा? इलाहाबाद का दर्द जितना आपको होगा, जनेश्वर मिश्र को होगा या भारतेन्दु प्रकाश सिंहल साहब को होगा उतना सबको नहीं हो सकता। सभापति महोदय, इसलिए हम इसको इस सदन में पास नहीं करा सकते। यह चुनाव के बाद ही पास होगा जब नई सरकार आयेगी। हम समझते हैं कि यह पद का दुरुपयोग और लोकतंत्र कमजोर करने के लक्षण हैं। हम चाहेंगे जो महाविद्यालय के लोग हैं, उन महाविद्यालयों को भी अगर यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनता है तो उसमें संबद्ध कराने का या जैसे पहले वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, वैसा बनाने के लिए कोई प्रावधान रखें।

वहां का छात्र संघ, जहां पंडित जवाहर लाल नेहरू एक आनरेरी मेम्बर माने जाते थे, वहां का छात्र संघ जिसने अमेरिका की गलत नीतियों का कारण रूजवेल्ट को काला झंडा दिखाया था। हम जानते हैं कि तीन-चार साल से माननीय जोशी जी के जो समर्थक उत्तर प्रदेश में थे, उन्होंने छात्र संघ को रद्द कर दिया था। वह विश्वविद्यालय की एक स्टेट्युटरी बॉडी है। हम चाहेंगे कि वहां के छात्र संघ के साथ खिलवाड़ न किया जाये। छात्र संघ से निकले हुए कई लोग दिल्ली और दिल्ली को चलाने में सक्षम रहे हैं। ये तीन बातें मुझे कहनी थीं, इसके लिए सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): सर, मुझे भी एक लाइन कहनी है। मैं भी इलाहाबाद से हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। आप पहले बैठ जाइये। एक लाइन, दो लाइन की बात नहीं है। आप पहले बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबे: सर, मुझे भी बोलने के लिए टाइम दीजिए। मैं भी इलाहाबाद से ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। आप इलाहाबाद में रही होंगी।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बिहार): सर, यह जो कनफलिक्ट आफ इंटरेस्ट का सवाल जनेश्वर जी ने उठाया है। यह...

श्री सभापति: कनफलिक्ट आफ इंटरेस्ट का सवाल नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु: आप दुनिया की डेमोक्रेसी में यह बात देखते हैं कि जो सीधे जिम्मेदार हैं कुछ काम के लिए वहां इस तरह से नहीं किया जाता है, खासकर के चुनाव के पहले तो यह कनफलिक्ट आफ इंटरेस्ट है। आप ने जो भ्रष्टाचार के बारे में जंग छेड़ रखी है वह सराहनीय है और हम सब उसका आदर करते हैं। उसी रोशनी में इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। यह सीधा सा कनफलिक्ट आफ इंटरेस्ट है। We charge that he is doing this to win elections. Just on the eve of the dissolution of the Lok Sabha, they are doing it. Their Government has already recommended to the President that 'we are going to dissolve the Lok Sabha on 6th February.' After that, to bring the Bill is just to benefit his own electoral interest. This is our charge.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, one point is to be kept in view. If they wanted to upgrade it as a Central University, it could have been done any time during these four years. Why has this particular time been chosen? And, the Minister is in charge of the HRD Ministry for quite some time. He knows very well that when the Lok Sabha will be dissolved. As per the practice of today, this Bill cannot be sent to the Parliamentary Standing Committee to examine it because, all the Parliamentary Standing Committees will also dissolve, and, in no way, he can advance the passage of the Bill by merely introducing it two days before the dissolution of the Lok Sabha. It is nothing but to take the electoral advantage. The Minister is doing so. Therefore, we are strongly opposing it. We are not opposed to the idea that the Allahabad University should be declared as a Central University. We support this demand fully, but the way the Minister has chosen the time for doing it and the manner in which the Minister is doing it is highly objectionable. Knowing fully well that no advantage will be available, if this Bill is introduced today, even then they want to do it. If this Bill could have been introduced after the new Lok Sabha is constituted, the effect would have remained the same, so far as the passage of the legislation is concerned. Knowing all these things fully well, only to take a little advantage in terms of electoral battle, he is introducing this Bill.

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, मैं दुविधा में तो नहीं हूं लेकिन मुझे खेद जरूर है कि आज यह बिल इंट्रोडयूस करने का जो निर्णय जोशी जी ने लिया है, ऐसे ही अवसरों पर एक कहावत कही गयी है कि सही उद्देश्यों की ओर बढ़ते हुए भी अगर रास्ता गलत अपनाया जाता है तो परिणाम विपरीत आते हैं। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देखने के लिए आज सारे देश में हजारों लोग उत्सुक हैं। हम लोग तो केवल एक छात्र थे

लेकिन छात्र को जब किसी ऐसी जगह पहुंचने का अवसर मिलता है जहां वह अपनी संस्था के लिए कुछ कर सकता है तो उसका सोचना और करना दोनों बहुत अच्छी बातें मानी जाती हैं। जोशी जी ने अगर 6-7 महीने पहले इस विधेयक को ला दिया होता और फिर इस विधेयक को कानून में परिणत करके उसका पूरा राजनैतिक लाभ जोशी जी उठाते तो बात बहुत अच्छी होती। सभापति महोदय, आज परिणित यह है कि शायद हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़े कि किन्हीं कारणों से ऐसा कार्य जिसके लिए हम सबने प्रयास किया और जोशी जी इस बात को जानते हैं, वह प्रयास कार्यरूप में परिणत होने के बजाय एक विवाद का विषय बन गया है। ऐसा काम आपने क्यों किया, हम स्वयं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इस विधेयक का, जैसाकि आदरणीय मिश्र जी ने कहा, हम सब स्वागत करते हैं लेकिन इसको विधि में परिणत करने के लिए जो आपने मार्ग अपनाया है, वह मार्ग सवर्था अनुचित है और मैं समझता हूं कि किन्हीं भी मापदण्डों के अंदर यह मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए था। ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे: माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: केवल दो मिनट में बोल दीजिए। सारी बातें आ गयी हैं।

श्रीमती सरोज दुबे: मैं केवल एक मिनट लूंगी।

श्री सभापति: यह तो बहुत बढ़िया है। आइंदा मैं आपको बोलने का मौका भी देता रहूंगा।

श्रीमती सरोज दुबे: महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग एक चिर-प्रतीक्षित मांग है। इसका स्वागत है। माननीय अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन मंत्री थे, उस वक्त मैं लोक सभा की सदस्य थी। मैं बार-बार हाऊस में इनसे मांग किया करती थी। इन्होंने सहयोग का वायदा भी किया था लेकिन कुछ कारणवश, राज्य सरकार के कुछ विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। महोदय, यह जनमानस की मांग है और लोगों की आकांक्षाएं हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले लेकिन आज लोक सभा भंग होने के दो दिन पहले जो विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रयास कर एक पवित्र कार्य का दुरुपयोग करना चाहते हैं, मैं इस प्रयास का विरोध करना चाहती हूं क्योंकि यह सही समय नहीं है, केवल चुनावी स्टंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मामला इतना सामान्य नहीं हो सकता है जिसको आप एक चुनावी हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ उठाएं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इससे जो महाविद्यालय संबद्ध हैं, उनको बिल्कुल अधर में छोड़ दिया गया है। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित होने के कारण इन महाविद्यालयों का भी अपना एक गौरव था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना भी एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व तथा गौरव है उस सबको बरकरार रखिए। अत: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाते समय आप उसको विवाद का विषय न बनाएं। अगर आपकी मंशा थी ही तो आप तीन बार वहां से सांसद रह चुके हैं,

मंत्री रहे हैं, इनकी ही सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इन्हीं के दल का, इलाहाबाद का आदमी मंत्री था लेकिन तब आपने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया तो आज क्यों याद आई। आज जो यह विधेयक लाए हैं, इससे इनकी मंशा साफ जाहिर है। इसका फायदा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के प्रयास का घोर विरोध करती हूं। धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। सम्माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया कितने समय से चल रही थी, उसमें क्या कठिनाइयां थीं और वे कैसे हल की गईं? तभी इन सारी बातों का समाधान हो सकेगा।

महोदय, यह प्रश्न बहुत दिनों से, आज़ादी के बाद से ही हमारे सामने था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसकी मांग बराबर उठ रही थी लेकिन उन दिनों शिक्षा समवर्ती विषय नहीं था, यह राज्य सरकारों का विषय था। इसमें यह हुआ कि यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले ही बना हुआ था। इस कारण से वह फिर उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय बन गया। जब यह सवाल यहां दोबारा उठा तो इसके बारे में सबको बहुत सहानुभूति थी। हमारे मित्र सामने बैठे हैं श्री अर्जुन सिंह जी - ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे उस समय। इसके पहले प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी थे। उन्होंने इसके लिए बहुत उपक्रम किए। सदन में मैंने आवाज़ उठाई। रंगनाथ मिश्र जी यहां बैठे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, जनेश्वर जी ने आवाज़ उठाई, सत्य प्रकाश मालवीय जी ने आवाज़ उठाई, सरोज दुबे जी ने आवाज़ उठाई लेकिन यह मामला बराबर नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, उसका कारण यह था कि इस विश्वविद्यालय को सरकार केंद्र को हस्तांतरित करने को तैयार नहीं हो रही थी। जब वह स्थिति आई तो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति भेजी उस विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए कि किस प्रकार से यहां क्या किया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि यहां अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं--वित्तीय अनियमितताएं थीं। पांच-पांच, सात-सात, आठ-आठ साल के एकाउंट्स नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि उन सबको ठीक कराने में उस समिति को काफी समय लगा। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की कि हां, अब सब कुछ ठीक है। अब इस विश्वविद्यालय को आप बना सकते हैं। यह सिफारिश 2001 में आई। उसके पश्चात यह प्रक्रिया शुरू हुई। हमें पूरी प्रक्रियाएं राज्य सरकार के हस्तांतरित होने की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारिश की, प्लानिंग कमीशन से मंजूरी की, वित्त मंत्रालय से मंजूरी की, सारी स्थितियां करते-करते नवंबर, 2003 में हमने केबिनेट से इसकी मंजूरी दे दी। तत्पश्चात पिछले सदन के सत्र के समय जो शीतकालीन सत्र था, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाना था लेकिन आप

जानते हैं किस प्रकार की परिस्थिति थी उस समय, यह विधेयक तब प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अब नवंबर, 2003 में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सत्रावसान हो जाएगा और उसके पश्चात् चुनाव हो जाएंगे। इसलिए यह कहना कि यह कोई चुनाव को मद्देनज़र रखकर किया जा रहा है, यह ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, हमको भी याद नहीं है कि कोई विधेयक विरोध के कारण पास नहीं हुआ। हमें याद नहीं है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: पास होने का सवाल ही नहीं है, आया ही नहीं था। ...(**व्यवधान**)... अरे, सुनिये पहले बात को आप। कृपा करके बात को सुनिए पहले।

श्री सभापति: ठीक है।, बसु जी, बैठ जाइए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं जो कह रहा हूं, उसे समझिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, ये गलत बात है।

श्री सभापति: गलत बात कही नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा कि लाया ही नहीं था। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, ये संसद के ऊपर थोप रहे हैं जिम्मेदारी। सर, ये बोल रहे हैं कि पिछले सत्र में कोई भी विधेयक जो सरकार ने पारित करने की मंशा की हो, वह आया हो और हमारे विरोध की वजह से पास न हुआ हो.....

श्री सभापति: नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा है यह।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैंने तो यह कहा ही नहीं कि किसी ने विरोध किया। मैंने तो यह कहा कि सदन में इसको लाया नहीं जा सका, मैंने यह कहा। मैंने यह नहीं कहा कि पारित नहीं हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र: डा॰ जोशी, एक मिनट...एक मिनट.. एक कन्ट्राडिक्ट्री बात यह हो गई कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने जब माननीय सदस्यों से पहले दिन ऑब्जेक्शन किया था, तब उन्होंने यह कहा था कि सरकार पहले से तय कर चुकी थी कि मुझे जनता के बीच में जाना है। यह कहा था।

श्री सभापति: यह तो कहा था।

श्री जनेश्वर मिश्र: और इसलिए हमने सत्रावसान नहीं किया और अब माननीय मानव संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि मालूम नहीं था कि लोक सभा का चुनाव होना है।

श्री मुरली मनोहर जोशी: नवंबर के महीने में, आप कृपा करके बात को सुनें। मैंने यह कहा कि नवंबर के महीने में...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक बार सुन लीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: रिकार्ड्स देख लिए जाएं, रिकार्ड्स देख लिए जाएं। गलत बयानी नहीं।... मैंने यह कहा कि 2003 में नवंबर के महीने में केबिनेट ने इसको मंजूरी दी तब यह किसी को पता नहीं था कि सत्रावसान होगा और चुनाव हो जाएंगे। मैंने यह कहा है, रिकार्ड्स देख लिए जाएं। मैंने यह नहीं कहा है कि सत्र में हमें मालूम नहीं था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। यह तो ...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि...

श्री सभापति: एक मिनट..इनको बोलने दीजिए अब।

श्री रमा शंकर कौशिक: महोदय, इन्होंने अभी कहा था कि दिसंबर में जो सेशन हुआ, जो शीतकालीन सत्र हुआ, उसकी परिस्थितियां ऐसी थीं कि मैं नहीं ला पाया। क्या परिस्थितियां थीं?

श्री सभापति: छोड़िए, छोड़िए उसे। मंत्री जी बोलिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: परिस्थितियां ये थी उस विधेयक को लाने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए थी, उसमें हमें कठिनाई थी जिसके कारण से वह नहीं आ सका। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: आप अगर मंत्री हैं तो ...(**व्यवधान**)... इनको बोलना पड़ेगा और आप इन्हें संरक्षण देंगे तो ये तो ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं क्या संरक्षण दूंगा ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: मंत्री होने का prerogative यह नहीं बनता कि whatever explanation he will give, the House will have to take it as *fait* it as *fait accompli* and accept it.

श्री सभापति: ऐसी बात नहीं है।...

श्री नीलोत्पल बसु: ऐसी ही बात है, सर। ऐसी ही बात है।... (**व्यवधान**). सब कुछ करेंगे। ...(व्यवधान)... उस बिल के प्रति प्रणब दा ने यह स्पष्ट किया, जनेश्वर जी ने यह स्पष्ट किया और मैं भी स्पष्ट कर रहा हूं। We are not basically opposed to this allocation to the Central Universities.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलिए, बोलिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जनेश्वर जी ने इसमें यह सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के साथ जितने भी अन्य विद्यालय हैं जो अभी तक सम्बद्ध थे, वे सम्बद्ध ही रहने चाहिए। इस विधेयक में उसकी व्यवस्था है। जो 11 विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संबंधित थे, वे बराबर इसके साथ रिकग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तौर पर संबंधित हैं। इसकी व्यवस्था विधेयक में है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्रीमती सरोज दुबे: यह विधेयक क्या उन लोगों ने देखा नहीं है?...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सबने देखा है।...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। देखिए, बीच-बीच में न उठें।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उनके प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। मैंने उनको यह सारी परिस्थिति समझा दी है कि इस विधेयक के अंदर यह प्रावधान है। इतना ही नहीं हमने उसमें यह सुझाव दिया है कि जो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल हम बना रहे हैं, वह उन कालेजों का विकास भी करेगी। यानी हम पूरी तरह से उनको संतुष्ट कर रहे हैं। इस विधेयक के पश्चात् उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां कोई आंदोलन नहीं है। उनमें किसी प्रकार की कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी गई थीं। हम उनसे मिले। दो तीन बार मिले। ...(**व्यवधान**)... अब कोई आंदोलन नहीं है। इसलिए वह प्रश्न इसमें बिल्कुल नहीं उठता। जहां तक इसका चुनावी लाभ होने का सवाल है तो यह श्रीमन् जब नवम्बर में कैबिनेट का फैसला हुआ, उसके पश्चात् सारे इलाहाबाद में, सारे उत्तर प्रदेश में, सब जगह सबको मालूम है कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। अब हमारे सामने सवाल नहीं है। इस विश्वविद्यालय को केन्द्र ने ले भी लिया और उत्तर प्रदेश ने इसे छोड़ा भी नहीं। क्योंकि कोई कानून नहीं है। वहां विश्वविद्यालय के सामने यह सवाल आता है कि उसके खर्चे कैसे जाएंगे, उसकी तमाम प्रक्रियाएं कैसे चलेंगी, सरकार का इरादा क्या है और किस रूप में वे आगे बढ़ेंगे? इसके बारे में हमें कुछ न कुछ बताना होता है अन्यथा प्रशासन और आर्थिक ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रणब मुखर्जी: अभी कानून कैसे बनेगा? How are you going to make legislation? Please tell us. How are you going to make legislation till the Lok Sabha is re-constituted? ...(*Interruptions*).

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This is not making legislation, but the intention of the Government is to ...(*Interruptions*)

श्री नीलोत्पल बसु: सर, इनको मालूम है कि लेजिस्लेशन पास नहीं होगा। ...(व्यवधान)... यह घिनौनी बात है। ...(व्यवधान)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Please listen ...(*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Knowing fully well that this legislation cannot be passed, he is introducing this Bill...(*Interruptions*).

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This is so that all apprehensions about the recognition, about the functioning of ...(*Interruptions*).

SHRI PRANAB MUKHERJEE: These things will be considered when the Bill comes up for consideration. Today, it is for introduction. And, introduction must have the objective. You have brought it at such a time when there is no way that this can be translated into legislation till the Lok Sabha is constituted. This is the simple point that I have raised. What is the purpose of bringing it when you cannot translate it into a legislation till the new Lok Sabha is constituted?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The purpose is very simple ...(*Interruptions*)

श्री नीलोत्पल बसु: कुछ हो नहीं सकता है। ...(व्यवधान)... रूल स्पष्ट कर दें। सबको मालूम है ...(व्यवधान)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The purpose is very simple. It is to give a clear-cut idea as to how the University will be managed ...(*Interruptions*).

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): They want to take political advantage out of it.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, the purpose of the Bill is not going to be served unless (*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, Knowing fully well that this Bill cannot be passed now, just to score a political advantage...सभापति जी, मंत्रियों का यह लेवल है। Sir, he is supposed to be at the top notches of the BJP and ...(*Interruptions*)... क्योंकि यह पास नहीं होगा, फिर भी ये इंट्रोडयूस कर रहे हैं, अपनी कांस्टीटूएंसी में चुनाव संकेत देने के लिए ...(व्यवधान)... आप जो सराहनीय रोल ले रहे हैं, उसकी रोशनी में, इस मामले में यह संरक्षण सदन में आने दें ...(व्यवधान)... मंत्रियों द्वारा इस

हाउस का मिसयूज हो, यह बहुत ही निराशाजनक है...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): यह हमारे द्वारा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: चिल्लाइए मत, समझ में आया नहीं ...(**व्यवधान**)... बाहर में घूम रहे थे, आकर कूद पड़े...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: चलिए, चलिए। छोड़िए। खत्म कीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: इस आपत्ति में कोई दम नहीं है। यह विधेयक तो इस बात के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की थी, हम उस प्रक्रिया को बराबर क्रमश: से बढ़ाते जा रहे हैं। आज यह विधेयक प्रस्तुत है, उसके बाद यहां या आगे जब भी पास होगा, विधि रूप में आएगा, लेकिन सरकार किस रूप में ...(**व्यवधान**)... हमने नवम्बर से शुरू किया है ...(**व्यवधान**)... जब से इसको शुरू किया है तब से निरंतर बढ़ाएं...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): आज क्यों ला रहे हैं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: आज यह हमारा अधिकार है कि हम इसको यहां प्रस्तुत करें ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: Sir, he will have to convince the House that it is not for the election purpose. He should tell us. सभापति जी, आज ...(**व्यवधान**)... यह क्या...(**व्यवधान**)....

What example will you set before a student? Sir, we have the intention to have a Central University at Allahabad; the whole House has the intention for the same. But, by doing it in this way, what example are you going to set before a student?

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, देखिए ...(**व्यवधान**)... मूव किजिए, Shri Murli Manohar Joshi to move the ...(*Interruptions.*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, we want a division on this subject. Sir it is necessary to seek the permission of the House whether the Minister should be permitted to introduce the Bill. It is to be decided by the House whether the Minister will be permitted to introduce the Bill. We are objecting to this introduction of the Bill. Let there be a division.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): Introduction

cannot be prevented, if it is within the rules...(*Interruptions*)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It will have to be...(*Interruptions*)... It will have to be ...(*Interruptions*)... The House has to decide whether the Minister will be permitted to introduce the Bill or not. (*Interruptions*)... You cannot decide. The House has to decide. You have to put the question to the House whether the Minister will be permitted to introduce the Bill, and, that is the practice.

श्री नीलोत्पल बसु: सभापति जी, अगर ऐसे ला रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वह ठीक है...(**व्यवधान**)... एक मिनट सुन लीजिए...(**व्यवधान**)... जो मैं समझ पाया हूं...(**व्यवधान**)... आपकी आपत्ति है कि चुनाव की दृष्टि से यह बिल इंट्रोडयूस किया है...(**व्यवधान**)... आपकी आपत्ति यह है...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक: आपत्ति यह भी है सभापति जी कि इसका कुछ होगा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट ठहरिए...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: ये खुद फायदा उठाना चाहते हैं...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट ठहर जाइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनको फायदा क्यों देना चाहते हैं? आप इनको फायदा दे रहे हैं। इन्होंने बिल इंट्रोड्यूज कर दिया है अब इंट्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, यह दूसरी बात है लेकिन आपने जो इन्हें फायदा पहुंचा दिया।

श्री कपिल सिब्बल: फायदा कैसे पहुंचा दिया?

श्री सभापति: फायदा इस तरह से पहुंचा दिया कि...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL:Sir, he is a candidate from Allahabad.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Yes, Sir, he is a candidate from Allahabad.

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, आप ठहरिए...(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is not a question of *fayda*. It is a question of parliamentary propriety as to whether a Minister can use the parliamentary institution to advance his electoral interest knowing fully well that the Bill cannot be translated into legislation because the

1.00 P.M.

Lok Sabha is going to be dissolved, and unless the Lok Sabha is reconstituted, no way this Bill can be passed. The Minister knows it fully well and he wants to tell the people, 'look, I have introduced the Bill.' ...(*Interruptions*)... This could have been done at least six months ago or eight months ago. Sir, we would like to assert our right by refusing or agreeing to permit the Minister to introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Okay, there is a procedure for that.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, in one month ...(*Interruptions*)... and then six months later it can go to Lok Sabha and...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए...(**व्यवधान**)...मैं ऐसा समझता हूं कि मैम्बर्स इस पर डिवीजन चाहते हैं। यही है न?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, Sir, we demand a division.

MR. CHAIRMAN: Okay, if the Members stress for a division, let the lobbies be cleared.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the leave be granted to introduce a Bill to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto."

The House Divided

MR. CHAIRMAN:

Ayes: 51

Noes: 69

Ayes: 51

Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar

Alexander, Dr. P.C.

Apte, Shri Devdas

Bachani Lekhraj, Shri

Bhardwaj, Shri Suresh

Bhendia, Shri Jhumuk Lal

Bora, Shri Indramoni

Durga, Shrimati N.P.

Gautam, Shri Sangh Priya

Goyal, Shri Vedprakash P.

Gyamtso, Shri Palden Tsering

Hema Malini, Shrimati

Indira, Shrimati S.G.

Joshi, Shri Kailash

Joshi, Shri N.

Kamaraj, Shri R.

Kasturirangan, Dr. K.

Kaur, Shrimati Gurcharan

Kaushal, Shri Swaraj

Kovind, Shri Ram Nath

Krishnamurthy K., Shri Jana

Lath, Shri Surendra

Libra, Shri Sukhdev Singh

Mahajan, Shrimati Sumitra

Maitreyan, Dr. V.

Maroo, Shri Ajay

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Vidya, Nivas

Mitra, Dr. Chandan

Narayanan, Shri P.G.

Nirupam, Shri Sanjay

Parmar, Shri Kripal

Patel, Shri Keshubhai S.

Pradhan, Shri Satish

Prasad, Shri Abhay Kant

Rajagopal, Shri O.

Samal, Shri Man Mohan

Sharda, Shrimati Savita

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Birabhadra

Singh, Shri Dara

Singh, Shrimati Maya

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singhal, Shri B.P.

Sinha, Shri Shatrughan

Sirigireddy, Shri Rama Muni Reddy

Suri, Shri Lalit

Swaraj, Shrimati Sushma

Thakur, Shri Ekanath K.

Trivedi, Shri Dinesh

Varma, Prof. R.B.S.

Noes: 69

Abrar Ahmed, Dr.

Ahmed, Shri Sk. Khabir Uddin

Anand, Shri R.K.

Anil Kumar, Shri

Azad, Shri Gandhi

Azmi, Shri Abu Asim

Bagrodia, Shri Santosh

Bairagi, Shri Balkavi

Bajwa, Shri T.S.

Barupal, Shrimati Jamana Devi

Basu, Shri Nilotpal

Bhandary, Prof. Ram Deo

Bhattacharya, Shri Manoj

Borgohain, Shri Drupad

Cariappa, Shrimati Prema

Chatterjee, Shri Prasanta

Chauhan, Shri Dara Singh

Chavan, Shri Prithviraj

Darda, Shri Vijay J.

Das, Dr. M.N.

Dasgupta, Dr. Biplab

Dubey, Shrimati Saroj

Faguni Ram, Dr.

Gnanadesikan, Shri B.S.

Goenka, Shri R.P.

Gowda, Shri H.K. Javare

Jethmalani, Shri Ram

Kalmadi, Shri Suresh

Kaushik, Shri Rama Shanker

Keishing, Shri Rishang

Kidwai, Dr. A.R.

Kshatriya, Prof. Alka Balram

Maheshwari, Shri P.K.

Meena, Shri Moolchand

Mishra, Shri Janeshwar

Mukherjee, Shri Dipankar

Mukherjee, Shri Pranab

Murthy, Shri K.B. Krishna

Narayanasamy, Shri V.

Nariman, Shri Fali S.

Pachouri, Shri Suresh

Pandey, Shrimati Chandra Kala

Parmar, Shri Raju

Pillai, Shri K. Chandran

Pillai, Shri Thennala G. Balakrishna

Poojary, Shri Janardhana

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri V.V.

Rai, Shri Lajpat

Raikar, Shrimati Bimba

Rebello, Miss Mabel

Rizvi, Dr. Akhtar Hasan

Roy, Shri Abani

Roy, Shri Jibon

Roy Chowdhury, Shri Shankar

Sankaralingam, Prof. M.

Sarkar, Shri Matilal

Sharmah, Shri Dwijendra Nath

Sibal, Shri Kapil

Siddiqui, Shri Shahid

Singh, Shri Arjun

Soz, Prof. Sail-ud-Din

Thakur, Dr. Prabha

Vijayaraghavan, Shri A.

Virumbi, Shri S. Viduthalai

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav 'Ravi', Dr. Ramendra Kumar

Yadav, Shri Vijay Singh

Zahidi, Shri Khan Ghufran

The motion was negatived.

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at ten minutes past one of the clock.

The House re-assembed after lunch at four minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE INTERIM BUDGET (RAILWAYS), 2004-2005 *(Contd.)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will have further discussion on the Interim Budget (Railways), 2004-2005. Shri P.G. Narayanan.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, I am glad that the Railway Minister chose to introduce a new train from Madurai to New Delhi in his Budget speech. I would request the Minister to start the train at the earliest and make it a daily train. I would have been happier if the train had originated from Kanyakumari. I therefore request the Minister to start the train from the southern tip of the country.

Though the Railway Minister has refuted that Tamil Nadu has been